



727
B-11-12

R-4314-II/12

श्री. एम. सुबेदी
क. प्र. 8-11-12

17-12-12

1. अनसुईया पत्नी स्व० बट्टी प्रसाद चतुर्वेदी
2. रवि शंकर पुत्र स्व० बट्टी प्रसाद चतुर्वेदी
3. अजय कुमार पुत्र स्व० बट्टी प्रसाद चतुर्वेदी
4. शिव शंकर पुत्र स्व० बट्टी प्रसाद चतुर्वेदी
5. दयाशंकर पुत्र स्व० बट्टी प्रसाद चतुर्वेदी
6. श्रद्धा पुत्री स्व० बट्टी प्रसाद चतुर्वेदी
7. सभी निवासी- ग्राम पाली थाना व तह० पाली जिला उमरिया म०प्र०

85-205

घनाम

1. सनत कुमार चतुर्वेदी
2. मनोज कुमार चतुर्वेदी - दोनों के पिता रामसुंदर चतुर्वेदी
3. लालमन चतुर्वेदी पिता बाबूराम चतुर्वेदी
4. मुन्नी बाई बेवा रामकुमार चतुर्वेदी
5. निर्मला पिता रामकुमार चतुर्वेदी
6. उर्मिला पिता रामकुमार चतुर्वेदी
7. विमला पिता रामकुमार चतुर्वेदी
8. लखूराम पिता गणेश राम चतुर्वेदी
9. जगेश्वर पिता गणेश राम चतुर्वेदी
10. ज्ञान बाई बेवा रामा चतुर्वेदी - सभी निवासी ग्राम पाली थाना व तह० पाली जिला उमरिया म०प्र०---

रेखांकन

निगरानी विरुद्ध निर्णय न्यायालय आयुक्त महोदय अहमदगढ़ द्वारा पारित आदेश दि०- 16.01.2012 जरिये प्रकरण नं०- 510/नि. 2008-09 (सनत कुमार चतुर्वेदी वगैरह बट्टी प्रसाद चतुर्वेदी वगैरह अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू. रा. संहिता ।

मान्यवर,
करते हैं :-

निगरानीकर्तागण निगरानी प्रस्तुत कर निम्नलिखित निवेदन

5/11/12

11/2/11



[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 4314-दो/2012

जिला - उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-2-2016	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है। आवेदक की ओर से सूचना उपरांत लगभग 2 वर्षों से प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हुआ। आज भी आवेदक एवं उनके अभिभाषक को समय-समय पर पुकार लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण में रुचि न लेने से समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: center;">   सदस्य </p>	